न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास एम.आर. बागडिया, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 23/08/टीआई

1. दूलाराम } } समस्त जाति रैगर निवासीगण
2. मांगूराम } पुत्रगण धन्ना } कांकरा तहसील दांतारामगढ
3. लिछमणराम } } जिला सीकर
4. मालूराम } }
5. शंकरलाल } पुत्रगण हुक्माराम }
6. हीरालाल } }
7. मु. बोदीदेवी धर्मपत्नी स्व. हुक्माराम }

—आवेदकगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्द्रा } पुत्रगण घीसा } जाति रैगर निवासीगण कांकरा तहसील
2. रामू } } दांतारामगढ जिला सीकर
3. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
4. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति— 1. श्री नंदलाल धायल वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री भवानीसिंह शेखावत वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से

निर्णय दिनांक— 23.07.2012

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त भूमि हाल ख.नं. 69 रकबा 3.68 है0 पुराना ख.नं. 198 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित भूमि आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 1 व 2 की 1/2 हिस्से की पूर्वजों के समय से ही संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें आवेदकगण एवं अनावेदकगण सं. 1 व 2 अपने 1/2 हिस्से पर काश्त कर अपने परिवार का जीवनयापन कर रहे है। आवेदकगण सं. 1 ता 4 का पिता वादी सं. 5 व 6 के पिता का पिता व आवेदक सं. 7 के पति का पिता धन्नाराम व अनादेवक सं. 1 व 2 का पिता घीसा स्वर्गीय भागीरथ के पुत्रगण थे जो संयुक्त रूप से दोनों भाई घीसा व धन्ना संयुक्त परिवार में रहते थे एवं संयुक्त रूप से आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से पर संयुक्त रूप से काश्त करते थे। उक्त भूमि की आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 व 2 के पूर्वज संयुक्त रूप से काश्त करने के सम्बन्ध में तत्कालीन राजस्व रिकार्ड संवत् 2010 से 2012 तक की खसरा गिरदावरी से आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 1 व 2 के पूर्वजों का 1/2 हि. पर काश्त करने का प्रमाण है जिससे आवेदकगण का कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से 1/4 हिस्से पर प्रमाणित है एवं आवेदक गण 1/4 हिस्से पर निरंतर रूप से निर्विवाद रूप से काबिज काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी संवत् 2010—12 में आवेदकगण एवं अनावेदक के पूर्वज घीसा एवं धन्ना पिता भागीरथ का नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से पर काबिज काश्तकार के रूप में नाम दर्ज है परन्तु अनावेदकगण सं. 1 व 2 का पिता घीसा धन्ना का बड़ा भाई था जो राजस्व कर्मचारियों से साज कर 1/2 हिस्सा संपूर्ण की खातेदारी अपने अकेले के नाम से करवा ली जबकि आवेदकगण के पूर्वज धन्ना व अनावेदक सं. 1 व 2 के पिता घीसा के 1/4, 1/4 हिस्से की अर्थात् दोनों का 1/2 हिस्से में राजस्व रिकार्ड में अंकन होना था एवं राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन मात्र से अनावेदक सं. 1 व 2 के पिता का आवेदकगण के हक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है एवं आवेदकगण के हक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। गलत रेवन्यू रिकार्ड में गलत खातेदारी की अंकन की आड़ में वादग्रस्त भूमियों से आवेदकगण को बेदखल कर बलात कब्जा करने की कुचेष्टा में संलग्न है और वादग्रस्त भूमियों को भूमाफियों को विक्रय कर बलात कब्जा करवाने की कुचेष्टा में है। इसलिए अनावेदकगण सं. 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है। आवेदकगण के 1/4 हिस्से हक के कब्जे काश्त में कोई दखंलदाजी नहीं करें। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण का सुदृढ है सुविधा का

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने के कारण अपूर्तनीय क्षति भी आवेदकगण को ही हो रही है। यदि अनावेदकगण उक्त गलत रिकार्ड के आधार पर आवेदन पत्र की मद सं. 2 में वर्णित भूमियों को दीगर व्यक्तियों को बेचान करने, खुर्द बुर्द करने आदि में सफल हो गये तो आवेदकगण को असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार भविष्य में संभव नहीं है इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना प्रार्थनीय है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र की मद सं. 2 में वर्णित भूमि ख.नं. 198 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा जिसके नये ख.नं. 69 रकबा 3.68 है0 वाके ग्राम कांकरा तहसील दांतारामढ जिला सीकर की भूमि के 1/4 हिस्से में बलात् कब्जा करने, आवेदकगण को बेदखल करने, करवाने, रहन रखने विकय करने, राजस्व रिकार्ड में परितर्वन करने, करवाने या किसी भी प्रकार दखलंदाजी करने से अनावेदकगण स्वंय परिजन आदि बाज रहें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री भवानीसिंह शेखावत हाजिर हुए व जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि में आवेदकगण का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। विवादित भूमि में जागीर के समय से ही अनावेदक सं. 1 व 2 के पिता स्व. घीसाराम का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त एवं उनकी मृत्यु पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अनावेक सं. 1 व 2 के नाम विरासत के आधार पर दर्ज हुई है । विवादित भूमि प्रथम सैटिलमेंट के समय मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर पर्चा सैटिलमेंट जवाबदाता के पिता घीसा पुत्र भागीरथ जाति रैगर के नाम हिस्सा 1/2 तथा पेमा पुत्र माना कुम्हार हि. 1/2 के नाम व डाल्या पुत्र रूड़ा कुम्हार हि. 1/4 का नाम दर्ज हुआ। तब से ही विवादित भूमि में हिस्सा 1/2 लगातार जवाबदाता के पिता घीसाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी के रूप में निरंतर उनके जीवन काल में दर्ज रही तथा घीसाराम की मृत्यु के बाद अनावेदक सं. 1 व 2 के नाम विरासत के आधार पर अंकन किया गया जो सही है। विवादित भूमि में आवेदकगण का कभी कोई कब्जा, हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहा है। आवेदकगण न तो विवादित भूमि के खातेदार है तथा न ही काबिज काश्तकार है ऐसी स्थिति में अनावेदक सं. 1 व 2 जो विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। आवेदकगण का न तो प्रथमदृष्टया मामला ही सुदृढ है व न ही सुविधा का संतुलन ही उनके पक्ष में है इसलिए आवेदकगण को किसी भी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नहीं हो रही है। विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रथम भूप्रबन्ध के दौरान अनावेदकगण के पिता स्व. घीसाराम पुत्र भागीरथ के नाम से मौके पर कब्जा व काश्त की जांच कर अंकन की गई है अनावेदकगण के पिता की मृत्यु हो जाने पर विरासत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अनावेदक सं. 1 व 2 का नाम खातेदार के रूप में दर्ज हुआ। विवादित भूमि की खसरा गिरदावरी संवत् से 2036 में अनावेदकगण के पिता व अनावेदकगण का नाम 1/2 हिस्से में लगातार काबिज काश्तकार व खातेदार के रूप में दर्ज है आवेदकगण का विवादित भूमि पर कभी कोई काश्त काश्त नहीं रहा है। मात्र संवत् 2012 की खसरा गिरदावरी में आवेदकगण के पूर्वज धन्नाराम का नाम अंकन करवा लेने मात्र से विवादित भूमि में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा अनावेदकगण के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। अगर आवेदकगण का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा व अधिकार होता तो आज से पूर्व करीब 55 साल की लम्बी अवधि में कहीं आपति व चाराजोही करते। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील आवेदकगण ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात ख.नं. 69 रकबा 3.68 है. पुराने ख.नं. 198 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम कांकरा तहसील दांतारामगढ आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 व 2 की 1/2 हिस्से की पूर्वजों के समय से ही संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 1 व 2 अपने 1/2 हिस्से पर काश्त कर अपने अपने

परिवार का जीवनयापन करते आ रहे है। आवेदक सं. 1 ता 4 का पिता, आवेदक सं. 5 व 6 के पिता का पिता व आवेदक सं. 7 के पति का पिता धन्नाराम व अनावेदक सं. 1 व 2 का पिता घीसा स्व. भागीरथ के पुत्रगण थे जो संयुक्त रूप से दोनों भाई घीसा व धन्ना संयुक्त रूप से रहते थे। उक्त भूमि संयुक्त रूप से काश्त करने के सम्बन्ध में तत्कालीन राजस्व रेकार्ड सं. 2010 से 2012 तक की खसरा गिरदावरी से आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 1 व 2 के पूर्वजों का 1/2 हिस्से पर काश्त करने का प्रमाण है। संयुक्त परिवार होने से कर्ता खानदान एवं बड़ा भाई होने से तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से साज कर 1/2 हि. संपूर्ण की खातेदारी अपने अकेले के नाम से करवा ली जबकि आवेदकगण के पूर्वज धन्ना व अनावेदक सं. 1 व 2 के पिता घीसा के 1/4, 1/4 हिस्से की अर्थात् दोनों का 1/2 हिस्से में राजस्व रिकार्ड में अंकन होना था। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण का सुदृढ है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने के कारण अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को हो रही है। यदि अनावेदकगण उक्त गलत रिकार्ड के आधार पर आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित भूमियों का दीगर व्यक्तियों को बेचान करने, खुर्द बुर्द करने आदि में सफल हो गये तो आवेदकगण को असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए विवादित आराजियात के 1/4 हिस्से में बलात कब्जा करने, आवेदकगण को बेदखल करने, करवाने, काश्त करने, राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने या किसी प्रकार से दखलदांजी करने से अनावेदकगण परिजन आदि बाज रहे। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान आवेदन जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात अप्रार्थीगगण के पूर्वज घीसाराम का 1/2 हिस्से पर जागीर के जमान से कब्जा व काश्त चला आ रहा था। उनकी मृत्यु के पश्चात् विरासत से अप्रार्थी सं. 1 व 2 का चला आ रहा है। अनावेदक मौके पर काबिज काश्तकार रहकर निर्बाध रूप से उपयोग व उपभोग में ले रहे है। आवेदकगण का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। मात्र संवत् 2012 में आवेदकगण के पूर्वज स्व. धन्ना का नाम खसरा गिरदावरी में अंकन हो जाने मात्र से आवेदकगण को विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते तथा अनावेदगण जो कि विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। आवेदकगण विवादित भूमि के न तो खातेदार है तथा न ही काबिज काश्तकार है। विवादित भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदार प्रथम भू प्रबन्ध संवत् 2011 से लगातार अनावेदगण व उनके पिता घीसाराम के नाम चली आ रही है। आवेदकगण का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

4. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के पूर्वज धन्ना व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पिता घीसा दोनों सगे भाई थे तथा आवेदकगण के कथनानुसार घीसा बड़ा होने के कारण काश्त में उनका नाम अंकित हो गया। संवत् 2012 में घीसा व धन्ना पि. भागीरथ रैगर हि. 1/2 काश्त अंकित है। इससे यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पूर्वज धन्ना व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता घीसा सगे भाई थे एवं बड़े होने के नाते खातेदारी उनके नाम से निरंतर चली आई एवं घीसा के फौत होने पर विरासत के उनके पुत्रों अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम अंकित हो गई। इसलिए इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विवादित भूमि पर आवेदकगण के पूर्वज व आवेदकगण का कब्जा काश्त रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला अप्रार्थीगण के साथ आवेदकगण का भी सुदृढ है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगगण का होगी। अतः उभय पक्ष को तादौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात ख.नं. 69 रकबा 3.68 है0 वाके ग्राम काकरा तहसील दांतारामगढ की भूमि के 1/2 हिस्से की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। मिसल बाद तकमील कार्यवाही मूल दावे के साथ संलग्न रहें

5. यह निर्णय आज दिनांक 24.07.2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.आर. बागडिया)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ